# न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1–निगरानी संख्या– 122 / 2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0
नबी अहमद पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम डौकपुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

बनाम

रईस अहमद पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम डौकपुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

2–निगरानी संख्या– 123 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0
नबी अहमद पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम डौकपुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

बनाम

रईस अहमद पुत्र छोटे, निवासी–ग्राम डौकपुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री पी0के0 गर्ग।

## निर्णय

निगरानी संख्या–122 / 2014–15 आयुक्त, कुमाऊं मण्डल द्वारा निगरानी संख्या–21 वर्ष 2013–14 रईस अहमद बनाम नबी अहमद में पारित आदेश दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि निगरानी संख्या–123 / 2015–16 नायब तहसीलदार, गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा नामान्तरण कार्यवाही संख्या–30 / 1479 (14–15) नबी अहमद बनाम बशीर अहमद अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 02–11–2015 के विरूद्ध योजित की गई है।

दोंनो निगरानियां समान पक्षकारों के मध्य होने एवं दोंनो में एक ही भूमि अर्न्तग्रस्त होने के दृष्टिगत एक ही निर्णयादेश से निर्णीत की जा रही है।

दोंनो निगरानियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है:–

बशीर पुत्र भूरे ग्राम डौकपुरी, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में स्थित भूमि खसरा संख्या–153 / 1 क्षेत्रफल 0.443 हे0 एवं खसरा संख्या–253 / 2 क्षैत्रफल 0.657 हे0 (हाल खसरा संख्या–232 क्षेत्रफल 0.4430 हे0 एवं खसरा संख्या–389क क्षेत्रफल 0.6570 हे0) का भूमिधर था। निगरानीकर्ता नबी अहमद एवं उत्तरदाता रईस अहमद सगे भाई है जिनको विद्वान आयुक्त, कुमाऊं मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में मृतक बशीर अहमद का सगा भतीजा बताया गया परन्तु इस स्तर पर हुई बहस में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता का मृतक बशीर से धारा–171 जं0वि0अधि0 में परिभाषित उत्तराधिकारी के अर्थों के अर्न्तगत कोई सम्बन्ध नही है। खतौनी की प्रविष्टि के अनुसार मृतक बशीर की वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण एक कथित लिखत / विलेख के आधार पर दिनांक 04–02–1991 को निगरानीकर्ता के पक्ष में कर दिया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली ***30 / 21(1990–91) होनी दर्शायी गई। बशीर की मृत्यु*** स्वीकार्य रूप से वर्ष 2001 में हुई। उत्तरदाता रईस अहमद ने वर्ष 1991 में निगरानीकर्ता के

पक्ष में हुए नामान्तरण आदेश के विरूद्ध नायब तहसीलदार, गदरपुर के समक्ष एक कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र विलम्ब से उक्त प्रविष्टि की जानकारी होने के आधार पर वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया जिसका कथित रूप से पत्रावली उपलब्ध न होने के आधार पर कोई निस्तारण नही किया गया। फलस्वरूप उत्तरदाता ने विद्वान आयुक्त, कुमाऊं मण्डल के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की जिसमें विद्वान आयुक्त ने यह निष्कर्ष अंकित करते हुए कि पत्रावली संख्या–30/21 अस्तित्व में ही नही थी निगरानी स्वीकार कर कथित नामान्तरण आदेश दिनांक 04–02–1991 को फर्जी पाते हुए इस आदेश को अपने आदेश दिनांक 05–05–2015 से निरस्त किया जिसके विरूद्ध निगरानी संख्या–122/2014–15 प्रस्तुत की गई है।

इस मध्य निगरानीकर्ता ने तहसीलदार, गदरपुर के समक्ष एक नामान्तरण सूचना पंजीकृत वसीयत के आधार पर दिनांक 16–05–2015 को प्रस्तुत की जिसमें विद्वान नायब तहसीलदार ने दिनांक 02–11–2015 को निम्न आदेश पारित किया:–

" पत्रावली पेश हो पुकारने पर वादीपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित है। सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित एक वाद उभयपक्षों के मध्य मा0 न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून में विचाराधीन है। नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से समान भूमि तथा पक्षकारों के मध्य समानान्तर वाद दो पृथक–पृथक न्यायालयों में गतिमान होना विधिक रूप से उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी नबी अहमद का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 दिनांक 16–05–2015 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण न्याय हित में निरस्त किया जाता है"।

इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी संख्या–123/2015–16 योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का भली–भांति अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कथन किया है कि दिनांक 04–02–1991 का नामान्तरण आदेश एक लिखत/विलेख के आधार पर पारित किया गया है जिसके पारित कराने में स्वयं उत्तरदाता ने प्रमुख भूमिका निभाई परन्तु उसके मन में बाद में स्वार्थ जगने से उसके द्वारा धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कोई आदेश पारित नही हुआ जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी विद्वान आयुक्त, कुमाऊं मण्डल ने न केवल स्वीकार की अपितु दिनांक 04–02–1991 को पारित नामान्तरण आदेश को भी निरस्त कर दिया गया, कि विद्वान आयुक्त, कुमाऊं मण्डल का निष्कर्ष कि पत्रावली 30/21 सन् 1990–91 अस्तित्व में नही है एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 04–02–1991 में फर्जी है विधिसम्मत नही है क्योंकि मूल पत्रावली 21/24 है जो **अभिलेखागार में दाखिल की गई एवं जिसे कभी भी नही मंगाया गया, कि विद्वान आयुक्त,** कुमाऊं मण्डल का आक्षेपित आदेश विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है, कि विद्वान नायब तहसीदार के समक्ष लम्बित पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण की